"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 43] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 22 अक्टूबर 2010—आश्विन 30, शक 1932

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 सितम्बर 2010

क्रमांक एफ 9-16/2009/1-8.—श्री अजय कुमार पाण्डेय (भा.रा.से.) विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग (अतिरिक्त आयुक्त, भारतीय राजस्व सेवा, कस्टम्स एण्ड सेन्ट्रल एक्साईस) की प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्त होने के फलस्वरूप इनकी सेवायें केन्द्रीय सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क बोर्ड, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली को वापस की जाती है तथा दिनांक 30-09-2010 अपरान्ह से नवीन पद पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कार्यमुक्त किया जाता है.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.

रायपुर, दिनांक 30 सितम्बर 2010

क्रमांक एफ 9-16/2009/1-8.—श्री अजय कुमार पाण्डेय (भा. रा. से.) विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग की प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्त होने के फलस्वरूप इनकी सेवायें संयुक्त आयुक्त, जयपुर आयुक्तालय, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली को दिनांक 30-09-2010 से वापस की जाती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार सिंह, अवर सचिव.

वन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 सितम्बर 2010

क्रमांक एफ 8-20/2007/10-2.—वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (क्र. 53 सन् 1972) की धारा 38 (X) एवं पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (बाघ संरक्षण फाउंडेशन) दिशानिर्देश, 2007 क्र. एस. ओ. 1008 (ई), दिनांक 22 जून 2007 के अनुसरण में, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, उदन्ती-सीतानदी बाघ संरक्षण फाउंडेशन, जो पंजीयक कार्यालय, सार्वजनिक न्यास रायपुर में क्रमांक 318, दिनांक 13-10-2009 में पंजीकृत है, को समग्र नीतिगत मार्गदर्शन और निर्देश देने के लिये शासी निकाय गठित करती है, जो निम्नानुसार है :—

सं. क्र. (1)	नामांकित अध्यक्ष/सदस्य (2)	पदनाम (3)
1.	राज्य सरकार के वनमंत्री	अध्यक्ष
2.	प्रमुख सचिव वन विभाग	उपाध्यक्ष
3.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक	सदस्य
4.	क्षेत्र संचालक, उदन्ती-सीतानदी टायगर रिजर्व	सदस्य
5.	उप संचालक, उदन्ती-सीतानदी टायगर रिजर्व	सदस्य
6.	संबंधित क्षेत्र के दो प्रसिद्ध वैज्ञानिक अथवा फील्ड अर्हता प्राप्त विशेषज्ञ (शासन द्वारा नामांकित).	सदस्य
7.	विधान सभा सदस्य जो राज्य विधान सभा में संबंधित क्षेत्र के प्रतिनिधि हो	सदस्य
8.	बाघ रिजर्व क्षेत्र पर क्षेत्राधिकार रखने वाले जिला पंचायत के प्रतिनिधि	सदस्य
9.	फाउंडेशन की कार्यकारी समिति के दो सदस्य (फील्ड निदेशक/उप-निदेशक के अलावा).	सदस्य
10.	मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक	सदस्य-सचिव

शासी निकाय का विनियमन एवं संचालन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (बाघ संरक्षण फाउंडेशन) दिशानिर्देश, 2007 के अनुसार होगा.

शासी निकाय के अशासकीय सदस्य, प्रथम श्रेणी शासकीय सेवकों के समतुल्य नियमानुसार यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता तथा भोजन व्यवस्था एवं आवास की सुविधा के लिए पात्र होंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
यूनुस अली, विशेष सचिव.

रायपुर, दिनांक 30 सितम्बर 2010

क्रमांक एफ 8-20/2007/10-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में वन विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 8-20/2007/10-2, दिनांक 30-09-2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
यूनुस अली, विशेष सचिव.

Raipur, the 30th September 2010

No. F 8-20/2007/10-2.—In pursuance of Section 38 (X) of Wild Life (Protection) Act, 1972 (No. 53 of 1972) and vide notification on S.O. 1008 (E), dated 22nd June, 2007 of National Tiger Conservation Authority (Tiger Conservation Foundation) Guidelines, 2007 issued by Ministry of Environment and Forest, Government of India New Delhi, the State Government hereby constitutes the Governing Body for giving overall policy guidelines and direction to Udanti-Sitanadi Tiger Conservation Foundation as registered in the office of Registrar, Public Trust Raipur vide No. 318, dated 13-10-2009, which is as follows :-

S. No. (1)	Nominated Chairperson/Member (2)	Designation (3)
1.	Forest Minister of the State Govt.	Chairman
2.	Principal Secretary, Forest Department	Vice-Chairman
3.	Principal Chief Conservator of Forest	Member
4.	Field Director, Udanti-Sitanadi Tiger Reserve	Member
5.	Deputy Director, Udanti-Sitanadi Tiger Reserve	Member
6.	Two prominent scientists or qualified experts of the related field (Nominated by the Government).	Member
7.	Member of Legislative Assembnly, who represent the concerned area in the State Legislative Assembly.	Member
8.	Representative of the District Panchayat having jurisdiction over the Tiger Reserve area.	Member
9.	Two members of the Executive Committee of the Foundation (other than the Field Directors/Deputy Director).	Member
10.	Chief Wildlife Warden	Member-Secretary

The Governing Body will be regulated and directed according to National Tiger Conservation Authority (Tiger Conservation Foundation) Guidelines, 2007 issued by Ministry of Environment and Forest, Government of India, New Delhi.

The non-government member of the Governing Body shall be entitled for T.A., D.A. and stay facility of Boarding and Lodging as per rule equivalent to Government Servants Class-I.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
YUNUS ALI, Special Secretary.

रायपुर, दिनांक 30 सितम्बर 2010

क्रमांक एफ 8-20/2007/10-2.—वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (क्र. 53 सन् 1972) की धारा 38 (X) एवं पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (बाघ संरक्षण फाउंडेशन) दिशानिर्देश, 2007 क्र. एस. ओ. 1008 (ई), दिनांक 22 जून 2007 के अनुसरण में, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, उदन्ती-सीतानदी बाघ संरक्षण फाउंडेशन, जो पंजीयक कार्यालय, सार्वजनिक न्यास रायपुर में क्रमांक 318, दिनांक 13-10-2009 में पंजीकृत है, के दैनिक (दिन प्रतिदिन) प्रबंध एवं प्रशासन के लिए कार्यकारी समिति गठित करती है, जो निम्नानुसार है :—

स. क्र. (1)	नामांकित अध्यक्ष/सदस्य (2)	पदनाम (3)
1.	क्षेत्र संचालक, उदन्ती-सीतानदी टायगर रिजर्व	अध्यक्ष
2.	उप संचालक, उदन्ती-सीतानदी टायगर रिजर्व	सदस्य-सचिव
3.	बाघ रिजर्व में कार्यरत पारिविकास समिति के दो प्रतिनिधि जो शासी निकाय द्वारा नामांकित किये गये हों.	सदस्य
4.	बाघ रिजर्व के फ्रंटलाइन स्टाफ के दो सदस्य	सदस्य

कार्यकारी समिति का विनियमन एवं संचालन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (बाघ संरक्षण फाउंडेशन) दिशानिर्देश, 2007 के अनुसार होगा.

कार्यकारी समिति के अशासकीय सदस्य, प्रथम श्रेणी शासकीय सेवकों के समतुल्य नियमानुसार यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता तथा भोजन व्यवस्था एवं आवास की सुविधा के लिए पात्र होंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
यूनुस अली, विशेष सचिव.

रायपुर, दिनांक 30 सितम्बर 2010

क्रमांक एफ 8-20/2007/10-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में वन विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 8-20/2007/10-2, दिनांक 30-09-2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
यूनुस अली, विशेष सचिव.

Raipur, the 30th September 2010

No. F 8-20/2007/10-2.—In pursuance of Section 38 (X) of Wild Life (Protection) Act, 1972 (No. 53 of 1972) and vide notification on S.O. 1008 (E), dated 22nd June, 2007 of National Tiger Conservation Authority (Tiger Conservation Foundation) Guidelines, 2007 issued by Ministry of Environment and Forest, Government of India New Delhi, the State Government hereby constitutes the Executive Committee to look after day to day management and administration of Udanti-Sitamadi Tiger Conservation Foundation as registered in the office of Registrar, Public Trust

Raipur vide No. 318, dated 13-10-2009, which is as follows :–

S. No. (1)	Nominated Chairperson/Member (2)	Designation (3)
1.	Field Director, Udanti-Sitanadi Tiger Reserve	Chairperson
2.	Deputy Director. Udanti-Sitanadi Tiger Reserve	Member Secretary
3.	Two representatives of Ecodevelopment Committees working in the Tiger Reserve to be nominated in the Governing Body.	Member
4.	Two members of frontline staff of the Tiger Reserve	Member

The Executive Committee will be regulated and directed according to National Tiger Conservation Authority (Tiger Conservation Foundation) Guidelines, 2007 issued by Ministry of Environment and Forest, Government of India, New Delhi.

The non-government member of the Executive Committee shall be entitled for TA, DA and stay facility of Boarding and Lodging as per rule equivalent to Government Servants Class-I.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
YUNUS ALI, Special Secretary.

रायपुर, दिनांक 30 सितम्बर 2010

क्रमांक एफ 8-20/2007/10-2.—वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (क्र. 53 सन् 1972) की धारा 38 (X) एवं पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (बाघ संरक्षण फाउंडेशन) दिशानिर्देश, 2007 क्र. एस. ओ. 1008 (ई), दिनांक 22 जून 2007 के अनुसरण में, राज्य सरकार, एतद्द्वारा. अचानकमार बाघ संरक्षण फाउंडेशन, जो पंजीयक कार्यालय, सार्वजनिक न्यास रायपुर में क्रमांक 02, दिनांक 25-02-2010 में पंजीकृत है, को समग्र नीतिगत मार्गदर्शन और निर्देश देने के लिये शासी निकाय गठित करती है, जो निम्नानुसार है :—

स. क्र. (1)	नामांकित अध्यक्ष/सदस्य (2)	पदनाम (3)
1.	राज्य सरकार के वनमंत्री	अध्यक्ष
2.	प्रमुख सचिव वन विभाग	उपाध्यक्ष
3.	प्रधान मुख्य वन संरक्षक	सदस्य
4.	क्षेत्र संचालक, अचानकमार टायगर रिजर्व	सदस्य
5.	उप संचालक, अचानकमार टायगर रिजर्व	सदस्य
6.	संबंधित क्षेत्र के दो प्रसिद्ध वैज्ञानिक अथवा फील्ड अर्हता प्राप्त विशेषज्ञ (शासन द्वारा नामांकित).	सदस्य
7.	विधान सभा सदस्य जो राज्य विधान सभा में संबंधित क्षेत्र के प्रतिनिधि हो	सदस्य

(1)	(2)	(3)
8.	बाघ रिजर्व क्षेत्र पर क्षेत्राधिकार रखने वाले जिला पंचायत के प्रतिनिधि	सदस्य
9.	फाउंडेशन की कार्यकारी समिति के दो सदस्य (फील्ड निदेशक/उप-निदेशक के अलावा).	सदस्य
10.	मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक	सदस्य-सचिव

शासी निकाय का विनियमन एवं संचालन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (बाघ संरक्षण फाउंडेशन) दिशानिर्देश, 2007 के अनुसार होगा.

शासी निकाय के अशासकीय सदस्य, प्रथम श्रेणी शासकीय सेवकों के समतुल्य नियमानुसार यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता तथा भोजन व्यवस्था एवं आवास की सुविधा के लिए पात्र होंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
यूनुस अली, विशेष सचिव.

रायपुर, दिनांक 30 सितम्बर 2010

क्रमांक एफ 8-20/2007/10-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में वन विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 8-20/2007/10-2, दिनांक 30-09-2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
यूनुस अली, विशेष सचिव.

Raipur, the 30th September 2010

No. F 8-20/2007/10-2.—In pursuance of Section 38 (X) of Wild Life (Protection) Act, 1972 (No. 53 of 1972) and vide notification on S.O. 1008 (E), dated 22nd June, 2007 of National Tiger Conservation Authority (Tiger Conservation Foundation) Guidelines, 2007 issued by Ministry of Environment and Forest, Government of India New Delhi, the State Government hereby constitutes the Governing Body for giving overall policy guidelines and direction of Achanakmar Tiger Conservation Foundation as registered in the office of Registrar, Public Trust Raipur vide No. 02, dated 25-02-2010, which is as follows :–

S. No. (1)	Nominated Chairperson/Member (2)	Designation (3)
1.	Forest Minister of the State Govt.	Chairman
2.	Principal Secretary, Forest Department	Vice-Chairman
3.	Principal Chief Conservator of Forest	Member
4.	Field Director, Achanakmar Tiger Reserve	Member
5.	Deputy Director, Achanakmar Tiger Reserve	Member
6.	Two prominent scientists or qualified experts of the related field (Nominated by the Government).	Member

(1)	(2)	(3)
7.	Member of Legislative Assembly, who represent the concerned area in the State Legislative Assembly.	Member
8.	Representative of the District Panchayat having jurisdiction over the Tiger Reserve area.	Member
9.	Two members of the Executive Committee of the Foundation (other than the Field Directors/Deputy Director).	Member
10.	Chief Wildlife Warden	Member-Secretary

The Governing Body will be regulated and directed according to National Tiger Conservation Authority (Tiger Conservation Foundation) Guidelines, 2007 issued by Ministry of Environment and Forest, Government of India, New Delhi.

The non-government member of the Governing Body shall be entitled for TA, DA and stay facility of Boarding and Lodging as per rule equivalent to Government Servants Class-I.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
YUNUS ALI, Special Secretary.

रायपुर, दिनांक 30 सितम्बर 2010

क्रमांक एफ 8-20/2007/10-2.—वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (क्र. 53 सन् 1972) की धारा 38 (X) एवं पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (बाघ संरक्षण फाउंडेशन) दिशानिर्देश, 2007 क्र. एस. ओ. 1008 (ई), दिनांक 22 जून 2007 के अनुसरण में, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, अचानकमार बाघ संरक्षण फाउंडेशन, जो पंजीयक कार्यालय, सार्वजनिक न्यास रायपुर में क्रमांक 02, दिनांक 25-02-2010 में पंजीकृत है, के दैनिक (दिन प्रतिदिन) प्रबंध एवं प्रशासन के लिए कार्यकारी समिति गठित करती है, जो निम्नानुसार है :—

स. क्र. (1)	नामांकित अध्यक्ष/सदस्य (2)	पदनाम (3)
1.	क्षेत्र संचालक, अचानकमार टायगर रिजर्व	अध्यक्ष
2.	उप संचालक, अचानकमार टायगर रिजर्व	सदस्य-सचिव
3.	बाघ रिजर्व में कार्यरत पारिविकास समिति के दो प्रतिनिधि जो शासी निकाय द्वारा नामांकित किये गये हों.	सदस्य
4.	बाघ रिजर्व के फ्रंटलाइन स्टाफ के दो सदस्य	सदस्य

कार्यकारी समिति का विनियमन एवं संचालन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (बाघ संरक्षण फाउंडेशन) दिशानिर्देश, 2007 के अनुसार होगा.

कार्यकारी समिति के अशासकीय सदस्य, प्रथम श्रेणी शासकीय सेवकों के समतुल्य नियमानुसार यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता तथा भोजन व्यवस्था एवं आवास की सुविधा के लिए पात्र होंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
यूनुस अली, विशेष सचिव.

रायपुर, दिनांक 30 सितम्बर 2010

क्रमांक एफ 8-20/2007/10-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में वन विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 8-20/2007/10-2, दिनांक 30-09-2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
यूनुस अली, विशेष सचिव.

Raipur, the 30th September 2010

No. F 8-20/2007/10-2.—In pursuance of Section 38 (X) of Wild Life (Protection) Act, 1972 (No. 53 of 1972) and vide notification on S.O. 1008 (E), dated 22nd June, 2007 of National Tiger Conservation Authority (Tiger Conservation Foundation) Guidelines, 2007 issued by Ministry of Environment and Forest, Government of India New Delhi, the State Government hereby constitutes the Executive Committee to look after day to day management and administration of Achanakmar Tiger Conservation Foundation as registered in the office of Registrar, Public Trust Raipur vide No. 02, dated 25-02-2010, which is as follows :–

S. No. (1)	Nominated Chairperson/Member (2)	Designation (3)
1.	Field Director, Achanakmar Tiger Reserve	Chairperson
2.	Deputy Director, Achanakmar Tiger Reserve	Member Secretary
3.	Two representatives of Ecodevelopment Committees working in the Tiger Reserve to be nominated in the Governing Body.	Member
4.	Two members of frontline staff of the Tiger Reserve	Member

The Executive Committee will be regulated and directed according to National Tiger Conservation Authority (Tiger Conservation Foundation) Guidelines, 2007 issued by Ministry of Environment and Forest, Government of India, New Delhi.

The non-government member of the Executive Committee shall be entitled for TA, DA and stay facility of Boarding and Lodging as per rule equivalent to Government Servants Class-I.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
YUNUS ALI, Special Secretary.

विधि एवं विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 सितम्बर 2010

क्रमांक 11196/2171/21-ब/2010.—भारतीय क्रिश्चियन विवाह अधिनियम, 1872 (1872 का 15) की धारा 6 तथा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, धर्म-कर्म कराने वाले (मिनिस्टर ऑफ रिलिजन) पास्टर आनंद प्रकाश, डिसाइपल्स ऑफ क्राइस्ट चर्च, ज्योतिपुर, पेण्ड्रारोड, जिला-बिलासपुर (छ. ग.) को—

1. विवाह अनुष्ठापित कराने; और

2. भारतीय क्रिश्चियनों (ईसाईयों) के बीच होने वाले विवाहों के प्रमाण-पत्र देने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर जिले के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करता है.

No. 11196/2171/21-B/2010.—In exercise of the powers conferred by Section 6 and 9 of the Indian Christian Marriage Act, 1872 (15 of 1872), the State Government is pleased to grant licence to (Minister of Religion) Paster Anand Prakash, Disciples of Christ Church, Jyotipur, Pendraroad, Bilaspur for Bilaspur District of State of Chhattisgarh :—

1. to solemnize marriage; and

2. to grant certificates of marriage between Indian Christians.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. एल. चरयाणी, अतिरिक्त सचिव.

वित्त एवं योजना विभाग
(योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी)
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 सितम्बर 2010

क्रमांक एफ 1-2/2004/23/वियो.—द्वारा श्री शिवराज सिंह, आय. ए. एस. (से.नि.) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उपाध्यक्ष, राज्य योजना मंडल तथा मान. मुख्यमंत्री जी छ. ग. के सलाहकार नियुक्त करते हुए सामान्य प्रशासन के आदेश क्रमांक एफ 3-8/09/1/एक दिनांक 7-9-2010 द्वारा केबिनेट मंत्री का दर्जा प्रदान किया गया है.

2. राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है, कि उपाध्यक्ष, राज्य योजना मंडल एवं मान. मुख्यमंत्री जी छ. ग. के सलाहकार को देय वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधाओं के संबंध में वित्त विभाग द्वारा प्रसारित निर्देश क्रमांक 177/362/वित्त/नियम/चार/2008, दिनांक 19 अगस्त, 2008 लागू नहीं होंगे.

3. सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक एफ 7-3/2010/1-6 दिनांक 01-06-2010 एवं छ. ग. मंत्री (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) अधिनियम 2002 के अनुक्रम में राज्य शासन एतद्द्वारा उपाध्यक्ष, राज्य योजना मंडल एवं मान. मुख्यमंत्री जी छ. ग. के सलाहकार, की सेवा शर्तें तथा देय वेतन भत्ते एवं अन्य सुविधाओं का निर्धारण संलग्न परिशिष्ट-एक के अनुसार करता है.

4. वेतन भत्ते आदि संबंधी उपरोक्त शर्तें उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से प्रभावशील होंगे.

5. श्री शिवराज सिंह, आय.ए.एस. (से.नि.), उपाध्यक्ष राज्य योजना मंडल एवं मान. मुख्यमंत्री जी के सलाहकार, को देय सुविधाओं पर होने वाला व्यय मांग संख्या-31, मुख्य लेखा शीर्ष-3451 सचिवालय आर्थिक सेवाएं (101) योजना आयोग-आयोजना बोर्ड 3686-राज्य योजना मंडल के मद के अंतर्गत विकलनीय होगा.

6. यह स्वीकृति वित्त विभाग के यू. ओ. क्रमांक 353/1652/उ.स./वि./नि./चार/2010 दिनांक 25-09-2010 द्वारा प्रदान की गई है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सतीश पाण्डेय, संयुक्त सचिव.

परिशिष्ट-एक

1.	वेतन	रुपये 7000/-
2.	कार्यालय की अवधि में दैनिक भत्ता	रुपये 1100/-
3.	सत्कार भत्ता	2500 प्रतिमाह
4.	वाहन	एक
5.	पेट्रोल प्रतिमाह	350 लीटर
6.	चिकित्सा सुविधाएं	निःशुल्क (स्वयं तथा उनके कुटुम्ब के सदस्यों हेतु अखिल भारतीय सेवा चिकित्सा नियम के तहत चिकित्सा सुविधा)
7.	यात्रा दैनिक भत्ता (प्रतिदिन)	रुपये 51/- (छत्तीसगढ़ के अंदर) रुपये 60/- (छत्तीसगढ़ के बाहर)
8.	यात्रा सुविधा	एच.ओ.आर. पर दो व्यक्तियों की रेल की वातानुकुलित प्रथम श्रेणी की सुविधा— 1. पद ग्रहण करने के लिए रायपुर से बाहर अपने सामान्य निवास स्थान तक की गई यात्रा के संबंध में और, 2. पदमुक्त होने पर रायपुर से सामान्य निवास स्थान तक की गई यात्रा के संबंध में अपने स्वयं के लिए तथा अपने कुटुम्ब के ऐसे सदस्यों के लिए जो उन पर आश्रित हो और अपनी तथा अपने कुटुम्ब की चीज वस्तु के परिवहन के लिये यात्रा भत्ता प्राप्त करने का और, 3. उन दौरों के संबंध में, जो कि उसने अपने पदीय कर्त्तव्यों के निर्वहन में थल, जल या वायु निर्वहन में थल, जल या वायु मार्ग द्वारा किये हो, यात्रा तथा दैनिक भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा और, 4. इन दौरों के दौरान विश्राम भवनों तथा विश्राम गृहों में जो कि राज्य सरकार द्वारा अनुरक्षित हो ठहरे तो उसे उन विश्राम भवनों तथा विश्राम गृहों में आवास सुविधा तथा विद्युत व्यवस्था उस ठहरने की अवधि में निःशुल्क उपलब्ध रहेगी.
9.	वाहन चालक	दो
10.	दूरभाष सुविधा	1. दो (एक कार्यालय हेतु एक निवास हेतु) फैक्स सुविधा सहित 2. एक मोबाइल फोन
11.	स्टाफ	
	1. विशेष सहायक	एक
	2. निज सचिव	एक
	3. निज सहायक	दो
	4. भृत्य	तीन
	5. सुरक्षा कर्मी	दो
	6. आवास सुविधा	1. एक सुसज्जित उपयुक्त आवास भवन 2. आवास में अन्य सामग्री उपलब्ध कराने हेतु एक बार का व्यय रुपये 35000/- (पैंतीस हजार मात्र) 3. विद्युत एवं जल सुविधा निःशुल्क

खनिज साधन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 अक्टूबर 2010

क्रमांक एफ 7-30/2010/12.—खनिज रियायत नियम, 1960 के नियम 74 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा निम्नलिखित तालिका के कालम (5) एवं (6) में उल्लेखित देशांश एवं अक्षांश के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में से इस अधिसूचना जारी होने की तारीख के पूर्व से अनुशंसित तथा स्वीकृत पीएल/एमएल क्षेत्रों को छोड़कर, संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म छत्तीसगढ़, रायपुर के द्वारा अथवा उसके माध्यम से खनिज मेगनीज तथा अन्य खनिजों के सर्वेक्षण/पूर्वेक्षण के लिए आरक्षित करती है :—

तालिका

क्र. (1)	वनमंडल एवं जिला (2)	रेंज (3)	टोपोशीट नं. (4)	देशांश (5)	अक्षांश (6)
1.	रायपुर (पूर्व), रायपुर	छूरा-परसुली	64 L/6	A 82°16' 00"	20°41' 30"
				B 82°21' 27"	20°41' 30"
				C 82°21' 22"	20°32' 00"
				D 82°16' 00"	20°32' 00"
				छत्तीसगढ़-उड़ीसा राज्य सीमा पर बिन्दु B से C	
2.	भानुप्रतापपुर, उत्तर बस्तर कांकेर	अन्तागढ़	65 E/1	A 81°10' 00"	20°00' 00"
				B 81°15' 00"	20°00' 00"
				C 81°15' 00"	19°54' 15"
				D 81°10' 00"	19°54' 15"

2. उक्त अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 05 वर्ष के लिए प्रभावशील रहेगी. खनिज रियायत नियम 1960 के नियम 74 (2) के उपबंध के अधीन इस अधिसूचना के प्रभावशील रहने पर खनिज रियायतें स्वीकृत नहीं की जायेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. मिश्रा, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 4 अक्टूबर 2010

क्रमांक एफ 7-30/2010/12.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 7-30/2010/12, दिनांक 04-10-2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. मिश्रा, उप-सचिव.

Raipur, the 4th October 2010

No. F 7-30/2010/12.—In exercise of the power conferred by sub-rule (1) of Rule 74 of Mineral Concession Rule, 1960 reserve the State Government hereby, reserve areas fall within the longitudes and latitudes mentioned in column (5) and (6), the following table for survey/prospecting of Manganese and other minerals by the Directorate of

Geology & Mining Chhattisgarh, Raipur, or through it, leaving the recommended and sanctioned PL/ML areas before the date of this notification.

TABLE

S. N. (1)	Forest Division and District (2)	Range (3)	Toposheet No. (4)	Longitude (5)	Latitude (6)
1.	Raipur (East), Raipur	Chhura-Parsuli	64 L/6	A 82°16' 00"	20°41' 30"
				B 82°21' 27"	20°41' 30"
				C 82°21' 22"	20°32' 00"
				D 82°16' 00"	20°32' 00"
				Point B to C along the Chhattisgarh-Orrisa State boundary	
2.	Bhanupratapapur, North Bastar Kanker	Antagarh	65 E/1	A 81°10' 00"	20°00' 00"
				B 81°15' 00"	20°00' 00"
				C 81°15' 00"	19°54' 15"
				D 81°10' 00"	19°54' 15"

2. The Notification shall remain in force for 5 years from the date of publication in the official gazette. No mineral concession will be sanctioned under the provision of rule 74 (2) of Mineral Concession Rule 1960, on the effect of this notification.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
V. K. MISHRA, Deputy Secretary.

आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 16 जून 2010

क्रमांक/एफ-1-5/25-2/2003/आजावि.—वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 13 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य शासन, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड में धारा 14 (1) (ग) के तहत श्री मो. सलीम अशरफी, अध्यक्ष मोहद्दिसे आजम मिशन, रायपुर, गफूर मंजिल, मौदहापारा, रायपुर तथा धारा 14 (1) (घ) के तहत श्री मो. आजम, मस्जिद कासिमपारा, बिलासपुर को सदस्य नियुक्त करता है.

2. यह अधिसूचना दिनांक 20 जुलाई, 2010 से प्रभावशील होगी.

रायपुर, दिनांक 2 अगस्त 2010

क्रमांक एफ 1-5/2000/आजावि.—वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 14 (क) एवं उपधारा 14 (8) में निहित प्रावधानों के तहत दिनांक 20-07-2010 को छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड की संयोजित सभा में उपस्थित सदस्यों द्वारा मो. सलीम अशरफी को बोर्ड का सभापति निर्वाचित किया गया है, जिसकी एतद्द्वारा घोषणा की जाती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल चौधरी, उप-सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 अक्टूबर 2010

क्रमांक/एफ 7-03/32/2009.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 (क) की उपधारा (2) के अंतर्गत इस विभाग की समसंख्यक सूचना दिनांक 27-02-2010 द्वारा रायपुर विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2021 में लोक प्रयोजनार्थ (बेसिक सर्विसेस फार अरबन पूअर योजना अंतर्गत नगर पालिक निगम, रायपुर को भवन निर्माण हेतु) निम्नानुसार भूमि के उपांतरण प्रस्तावित करते हुये दो दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों में लगातार दो दिन प्रकाशित की गई थी :—

रायपुर विकास योजना पुनर्विलोकित (2021) के उपांतरण प्रस्ताव

क्र. (1)	ग्राम का नाम (2)	खसरा क्र. (3)	रकबा (हेक्टर में) (4)	विकास योजना अंगीकृत प्रस्ताव (5)	अधिनियम की धारा 23 'क' के तहत उपांतरण के प्रस्ताव (6)
1.	दलदल सिवनी	6/21 एवं 7	3.213 में से 3.053 हेक्टेयर	आमोद-प्रमोद	आवासीय
			रकबा 3.053 हे.		

2. सूचना में उल्लेखित समयावधि में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है.

3. अत: राज्य शासन एतद्द्वारा रायपुर विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2021 में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है. उक्त उपांतरण रायपुर विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2021 का अंगीकृत भाग होगा.

रायपुर, दिनांक 4 अक्टूबर 2010

क्रमांक/एफ 7-06/32/2010.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 (क) की उपधारा (2) के अंतर्गत इस विभाग के सूचना क्रमांक 353/1951/32/2007 दिनांक 20-02-2009 द्वारा रायपुर विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2021 में लोक प्रयोजनार्थ (बेसिक सर्विसेस फार अरबन पूअर योजना अंतर्गत नगर पालिक निगम, रायपुर को भवन निर्माण हेतु) निम्नानुसार भूमि के उपांतरण प्रस्तावित करते हुये दो दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों में लगातार दो दिन प्रकाशित की गई थी :—

रायपुर विकास योजना पुनर्विलोकित (2021) के उपांतरण प्रस्ताव

क्र. (1)	ग्राम का नाम (2)	खसरा क्र. (3)	रकबा (हेक्टर में) (4)	विकास योजना अंगीकृत प्रस्ताव (5)	अधिनियम की धारा 23 'क' के तहत उपांतरण के प्रस्ताव (6)
1.	मठपुरैना	398/1 398/22 398/23	9.955 में से 0.123 6.123	कृषि, आमोद-प्रमोद	आवासीय
			रकबा 6.246 हेक्टेयर		

2. सूचना में उल्लेखित समयावधि में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है.

3. अत: राज्य शासन एतद्द्वारा रायपुर विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2021 में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है. उक्त उपांतरण रायपुर विकास योजना (पुनर्विलोकित) 2021 का अंगीकृत भाग होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित कटारिया, उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 27 सितम्बर 2010

क्र.अ.भू.अ.प्र.क्र./1137/अ/82/2009-2010.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	डौ. लोहारा	खपरी प. ह. नं. 22/31	0.69	कार्यपालन अभियंता, खरखरा मोहंदीपाट परियोजना संभाग, दुर्ग.	माइनर निर्माण

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डौण्डीलोहारा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 29 अप्रैल 2010

क्रमांक 3/क/भू-अर्जन/प्र. क्र. 3 अ/82 वर्ष 2009-2010.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायपुर	सिमगा	लिमतरा प. ह. नं. 3	0.15	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग बेमेतरा, जिला-दुर्ग छ. ग.	नांदघाट - लिमतरा एनीकट योजना के निर्माण हेतु.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गर्ग, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 7 अक्टूबर 2010

क्रमांक/9701/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	राजनांदगांव	हरदी प. ह. नं. 41	0.705	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, राजनांदगांव.	राजनांदगांव अन्तागढ़ मार्ग के कि.मी. 5/8-10 पर, शिवनाथ नदी (मोहारा घाट) सेतु निर्माण पहुंच मार्ग एवं परिवर्तित मार्ग.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 7 अक्टूबर 2010

क्रमांक/9702/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	राजनांदगांव	मोहारा प. ह. नं. 24	0.857	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, राजनांदगांव.	राजनांदगांव अन्तागढ़ मार्ग के कि.मी. 5/8-10 पर शिवनाथ नदी (मोहारा घाट) सेतु निर्माण पहुंच मार्ग एवं परिवर्तित मार्ग.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

धमतरी, दिनांक 25 सितम्बर 2010

क्रमांक/454/भू-अर्जन/1 अ/82 वर्ष 2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धमतरी	नगरी	नवागांव (बेलरगांव)	1.607	कार्यपालन अभियंता, म.ज.प. बांध संभाग क्रमांक-02, रूद्री धमतरी.	बेलरगांव जलाशय के डूब के हेतु अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता.

धमतरी, दिनांक 25 सितम्बर 2010

क्रमांक/455/भू-अर्जन/2 अ/82 वर्ष 2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धमतरी	नगरी	कसपुर (बेलरगांव)	1.88	कार्यपालन अभियंता, म.ज.प. बांध संभाग क्रमांक-02, रूद्री धमतरी.	बेलरगांव जलाशय के डूब के हेतु अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संगीता पी., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2010

क्रमांक 08/अ-82/08-09/अ.वि.अ./10.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	तखतपुर	लाखासार प. ह. नं. 18	10.01	कार्यपालन अभियंता, मनियारी जल संसाधन संभाग, मुंगेली.	विंध्यासर व्यपवर्तन योजना नहर निर्माण के लिये.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 29 सितम्बर 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 36/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसकें सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना हैं. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	कोसमपाली प. ह. नं. 20	4.951	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	कोसमपाली जलाशय के डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 29 सितम्बर 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 37/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अंत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	विश्वनाथपाली प. ह. नं. 19	7.867	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	विश्वनाथपाली जलाशय के डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 29 सितम्बर 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 38/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	शकरबोगा प. ह. नं. 20	0.923	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	शकरबोगा जलाशय के नहर में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 29 सितम्बर 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 39/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	लोईंग प. ह. नं. 19	2.071	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	विश्वनाथपाली जलाशय के डूब क्षेत्र में आने वाली निजी भूमि का भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 29 सितम्बर 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 40/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	कोटमार प. ह. नं. 18	0.405	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	एनीकट कोटमार के क्षेत्र में आने वाले निजी भूमि का भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 17 सितम्बर 2010

क्रमांक/17/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) में संशोधित भू-अर्जन नियम 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-तखतपुर
- (ग) नगर/ग्राम-सागर, प. ह. नं. 19
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.72 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
1832	0.80
1831	0.70
1833/1	0.65
1450/3	0.20
1450/1	0.25
1450/2	0.10
1450/4	0.15
1452	0.09
1829	0.20
1974	0.05
1975	0.30
803	0.02
802	0.02
798	0.05
796	0.15
795	0.20
797/2	0.12
770	0.20
768/2	0.15
768/1	0.10
772/2	0.11
772/1	0.12
1540	0.20
1546/2	0.12
1547	0.20
1548	0.25
1549	0.17
1625/1 ग	0.03
1550	0.02
योग	5.72

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- विंध्यसार व्यपवर्तन योजना नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कोरबा, दिनांक 2 अगस्त 2010

क्रमांक 04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-करतला
- (ग) नगर/ग्राम-ढिटोरी, प. ह. नं. 10
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.081 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
281/2	0.081
योग 1	0.081

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-करापाली माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 2 अगस्त 2010

क्रमांक 05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-करतला
- (ग) नगर/ग्राम-खरहरकुड़ा, प. ह. नं. 10
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.939 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
87/5	0.093
76/6	0.016
76/9	0.008
114/8	0.004
26/2	0.016
177	0.012
156/2 ङ	0.073
156/2 ट	0.012
114/5	0.028
114/4	0.008
25/1	0.049
79/6	0.065
156/1	0.138
24	0.032
26/1	0.061
79/1	0.036
77/2	0.073
76/4	0.061
79/2	0.020
61/1	0.134
105	0.214
156/2 क	0.113
79/3	0.024
176	0.085
156/2 छ	0.036
110, 111	0.016
175	0.008
112, 113	0.004
156/2 घ	0.008
114/14	0.073
88	0.065
61/13 क	0.125
114/15 ख	0.024
61/2, 76/8	0.081
114/9	0.004
25/2	0.040
26/3	0.020
114/7	0.008
114/15 क	0.004
114/16	0.012
79/4	0.036
योग 41	1.939

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- खरहरकुड़ा माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 2 अगस्त 2010

क्रमांक 06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-करतला
- (ग) नगर/ग्राम-घाटाद्वारी, प. ह. नं. 10
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.755 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	45/19	0.012
	45/13	0.226
	45/15	0.069
	55/1	0.028
	52	0.234
	51	0.125
	54	0.061
योग	7	0.755

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- खरहरकुड़ा माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 15 सितम्बर 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 14/अ-82/2008-2009.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-पाली
- (ग) नगर/ग्राम-सिरली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.44 एकड़

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
	1074/17	0.17
	1074/18	0.07
	1080/3	0.20
योग	3	0.44

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-रेल पथ निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरबा, दिनांक 30 सितम्बर 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 15/अ-82/2008-2009.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कोरबा
- (ख) तहसील-पाली
- (ग) नगर/ग्राम-रेंकी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.32 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	311/9	0.32
योग	1	0.32

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-रेल पथ निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कटघोरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. एस. त्यागी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 सितम्बर 2010

क्रमांक 4.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-चांपा
(ग) नगर/ग्राम-कमरीद, प. ह. नं. 04
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.185 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	897/2	0.032
	897/1	0.028
	898	0.073
	848/60	0.028
	946	0.024
योग	5	0.185

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सोनियापाठ माइनर नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 सितम्बर 2010

क्रमांक 5.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
(ख) तहसील-चांपा
(ग) नगर/ग्राम-अमरुवा, प. ह. नं. 05
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.024 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	121/3	0.024
योग	1	0.024

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अमरुवा माइनर नं. 2 नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 13 अक्टूबर 2010

क्रमांक 14120.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता हैं कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-अकलतरा
- (ग) नगर/ग्राम-अमोरा, प. ह. नं. 14
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-56.219 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
984	0.810
985/1	0.162
985/3	0.101
985/4	0.243
985/5	0.101
987/3	0.130
989/3	0.223
989/5	0.223
990/2	0.162
990/4	0.089
991/1	0.263
991/3	0.275
992/2	0.202
994/3	0.364
994/4	0.457
998/2	0.065
998/3	0.223
998/4	0.223
998/5	0.364
998/6	0.219
998/7	0.085
998/8	0.202
998/9	0.150
998/10	0.219
998/11	0.211
998/12	0.117
998/1	0.065
999/1	0.826
1000/6	0.211
1000/8	0.202
1000/10	0.275
1000/2	0.049
1001/1	0.162
1001/2	0.134
1001/3	0.093
1001/4	0.134
1005/3	0.243
1005/4	0.121
1006/1	0.130
1006/2	0.251
1006/3	0.142
1006/4	0.162
1006/5	0.267
1006/6	0.166
1006/9	0.073
1006/10	0.405
1006/11	0.547
1006/12	0.324
1006/13	0.146
1006/14	0.138
1006/15	0.275
1006/17	0.595
1006/19	0.215
1006/21	0.182
1006/23	0.150
1006/24	0.089
1006/25	0.134
1006/26	0.101
1006/27	0.073
1006/28	0.036
1006/29	0.231
1006/38	0.320
1006/30	0.121
1006/31	0.121
1006/32	0.251
1006/33	0.251
1006/34	0.251
1006/35	0.166
1006/36	0.170
1006/37	0.166
1007/6	0.146

(1)	(2)
1010/2	0.202
1011/4	0.109
1011/6	0.101
1012/1	0.267
1012/6	0.081
1012/12	0.109
1012/13	0.020
1012/14	0.202
1038/1	0.522
1038/2	0.522
1040/3	0.154
1040/4	0.194
1042/1	0.243
1042/5	0.389
1042/6	0.389
1065/3	0.113
1065/4	0.243
1065/5	0.121
1264/1	0.470
1264/2	0.328
1265/1	0.146
1265/3	0.073
1265/6	0.073
1265/8	0.073
1266/1	0.202
1266/4	0.287
1267/2	0.324
1268/1	0.211
1268/2	0.146
1272/2	0.101
1272/13	0.150
1273/3	0.405
1274/1	0.101
1274/2	0.243
1274/3	0.243
1274/4	0.356
1314/1	0.162
1314/2	0.146
1316	0.283
1318/1	0.202
1318/2	0.372
1318/3	0.202
1319/1	0.162
1319/2	0.109
1319/3	0.057
1320	0.300
1321	0.300
1322/1	0.004
1322/2	0.109
1322/3	0.093
1322/4	0.093
1323	0.308
1324	0.150
1325/1	0.243
1325/2	0.174
1325/3	0.174
1325/5	0.174
1326	0.486
1328	1.543
1330	0.385
1335/4	0.445
1335/5	0.202
1335/8	0.061
1335/9	0.057
1335/10	0.057
1335/12	0.146
1335/13	0.093
1336	0.883
1337/1	0.121
1337/2	0.607
1337/3	0.081
1340	0.263
1342/2	0.279
1343/1	0.073
1343/2	0.425
1344/1	0.628
1344/3	0.223
1344/6	0.405
1344/7	1.377
1345/1	0.109
1351/1	0.105
1351/2	0.186
1351/3	0.186
1351/5	0.142
1351/6	0.138
1351/9	0.101
1351/13	0.162
1353/2	0.215
1353/3	0.219
1354/2	0.008
1354/4	0.227
1356/1	0.032
1356/2	0.032
1356/3	0.045

(1)	(2)
1356/4	0.024
1356/5	0.065
1356/6	0.065
1357/5	0.049
1358/2	0.178
1359/2	0.219
1360/1	0.348
1360/2	0.340
1363/2	0.089
1364	0.648
1365	0.972
1373	0.636
1374/1	0.433
1374/2	0.364
1374/3	0.526
1379	0.190
1381	0.320
1384/3	0.202
1384/4	0.202
1385	0.328
1388/1	0.186
1388/2	0.186
1389/1	0.219
1389/3	0.215
1390/2	0.543
1390/3	0.069
1390/4	0.453
1390/5	0.543
1390/6	0.069
1390/7	0.267
1390/8	0.304
1390/1	0.134
1391/1	0.648
1391/2	0.024
1395	0.231
1397/1	0.462
1397/2	0.457
1397/3	0.457
1397/4	0.457
1398/3	0.202
1399/1	0.202
1399/2	0.206
1400/1	0.324
1400/2	0.202
1400/3	0.405
1400/4	0.231
1400/5	0.162
1400/6	0.040
1400/7	0.081
1402	0.154
1404	0.312
1405/2	0.425
1407/2	0.526
1408/1	0.514
1408/2	0.162
1408/8	0.304
1410/2	0.215
1410/3	0.105
1410/4	0.109
1411/3	0.405
1412	0.409
1416	0.340
1417	0.130
1418	0.263
योग	56.219

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- औद्योगिक प्रयोजन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 13 अक्टूबर 2010

क्रमांक 14121.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि को अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-अकलतरा

(ग) नगर/ग्राम-अमोरा, प. ह. नं. 14

(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.940 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1224/1	0.202
1224/3	0.324
1225/7	0.081
1227/1	0.081
1227/3, 1228/5	0.028
1230/1	0.061
1230/2	0.061
1230/3	0.061
1231	0.081
1232	0.211
1233/1	0.162
1233/4	0.061
1234/2	0.324
1235/4	0.243
1236/4	0.134
1255/1	0.105
1255/2, 1255/5	0.057
1256/1	0.073
1256/2	0.073
1257	0.312
1259/1	0.162
1260/1	0.024
1260/2	0.182
1261/1	0.170
1261/2	0.202
1261/3	0.328
1261/4	0.405
1262/2	0.283
1262/3	0.061
1262/8	0.065
1266/5	0.016
1267/2	0.109
1268/2	0.081
1269/1	0.182
1270/1	0.628
1271	0.275
1272/2	0.004
1272/3	0.243
1272/6	0.194
1272/7	0.194
1313/2	0.202
1313/3	0.105
1313/4	0.032
1313/5	0.016
1314/1	0.040
योग	6.940

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- औद्योगिक प्रयोजन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 13 अक्टूबर 2010

क्रमांक 14122.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-अकलतरा
- (ग) नगर/ग्राम-लटिया, प.ह. नं. 06
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-30.315 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
28/1	0.040
28/7	0.093
28/2, 105/3	0.101
28/8	0.085
30/1	0.097
30/2	0.081
31/1	0.081
31/7	0.364
31/14	0.405
31/15	0.405
34/1	0.364
34/2 ज	0.008

(1)	(2)	(1)	(2)
34/2 क	0.020	109/4	0.085
34/2 ज	0.126	110/1	1.215
34/2 झ	0.182	110/2	0.061
35/7	0.393	111/1	0.166
35/16	0.283	111/2	0.259
35/18	0.154	111/5	0.445
35/24	0.526	131	0.830
35/49	0.405	133	0.466
35/50	0.324	136	0.121
35/54	0.049	151/1	0.202
35/71	0.344	151/3	0.040
35/97	0.053	152/1	0.142
77/2	0.032	152/4	0.202
78/1	0.891	152/6	0.409
79/1	0121	153/4	0.324
79/2	0.182	154/4	0.020
81/3	0.121	154/5	0.206
82/1	0.081	155/1	0.089
82/2	0.036	155/5	0.121
82/3	0.190	155/6	0.081
82/5	0.081	155/7	0.324
82/6	0.081	155/8	0.243
82/7	0.223	155/10	0.081
82/8	0.024	155/11	0.081
82/9	0.008	155/9	0.020
82/10	0.008	156/5	0.121
82/11	0.004	156/11	0.065
84	0.126	156/31	0.012
86	0.202	156/33	0.113
104	0.020	156/35	0.040
105/1	0.267	160/2	0.061
105/2	0.263	160/3	0.121
105/6	0.073	160/4	0.121
105/7	0.069	160/5	0.089
105/4	0.182	160/7	0.162
105/5	0.121	161	0.040
105/8	0.126	162/1, 163/2	0.279
105/9	0.117	162/2	0.162
105/10	0.117	162/5, 163/5	0.279
105/11	0.113	163/1	0.551
105/12	0.101	164/1	0.040
105/13	0.101	165	0.405
105/14	0.040	166	0.405
106	0.263	167/1	0.308
109/1	0.154	167/2	0.081
109/2	0.061	168/3	0.032

(1)	(2)
169	0.101
170	0.182
171	0.182
175/1	0.089
176/1, 176/2	0.089
177/3	0.049
179/1	0.061
180/1	0.320
181	0.947
182/3	0.101
182/4	0.202
182/5	0.061
182/7	0.040
182/8	0.134
182/6	0.004
182/9	0.138
183/4	0.101
188/6	0.101
188/13	0.162
191/1	0.040
191/4	0.040
191/2, 192/1, 192/2	0.101
191/3, 192/5, 192/6	0.040
193/1	0.036
193/2	0.057
193/3	0.028
195/9	0.040
196/9	0.040
196/14	0.611
196/15	0.385
196/18	0.081
196/36	0.891
196/21	0.081
404/3	0.121
404/5	0.202
404/6	0.182
405/4	0.445
405/5	0.263
405/3	0.166
407/2	0.040
407/3	0.024
407/5	0.105
408/2	0.138
409/1	0.121
410/2	0.162
410/3	0.215
415	0.405
416	0.121
417	0.951
418	0.040
420/1	0.049
420/2	0.142
420/3	0.287
421	0.466
422, 423/1, 423/2	0.243
425/14	0.048
425/7	0.020
426/1	0.425
428	0.081
योग	30.315

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- औद्योगिक प्रयोजन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 13 अक्टूबर 2010

क्रमांक 14123.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 (1) के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-अकलतरा
- (ग) नगर/ग्राम-मुरलीडीह, प. ह. नं. 06
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-5.206 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1343/2	0.008

(1)	(2)
1343/3	0.020
1357	0.040
1358	0.109
1359/1	0.040
1359/2	0.085
1442	0.275
1443/2	0.142
1444	0.008
1479	0.126
1480	0.174
1481	0.202
1482	0.255
1483	0.235
1484	0.243
1506/1	0.081
1507/3	0.040
1518/1, 1518/2	0.206
1521/1	0.032
1521/2	0.032
1522	0.101
1523	0.328
1524	0.077
1525	0.121
1526	0.121
1527/1	0.077
1528/2	0.020
1535/1	0.109
1536/1	0.162
1536/2	0.065
1536/3	0.130
1537/2	0.121
1542	0.142
1545/1	0.040
1545/2	0.040
1546/1	0.040
1546/2	0.344
1547	0.081
1549/2	0.162
1551	0.405
1557	0.040
1563	0.061
1565/2	0.053
1482	0.008
योग	5.206

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- औद्योगिक प्रयोजन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 13 अक्टूबर 2010

क्रमांक 14124.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-अकलतरा

(ग) नगर/ग्राम-तरौद, प. ह. नं. 14

(घ) लगभग क्षेत्रफल-23.599 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1542	0.057
1543	0.263
1548	0.150
1559	0.020
1560	0.016
1562	0.012
1563	0.012
1570/1	0.405
1576	0.425
1580/3	0.109
1615/1	0.065
1631/1	0.158

(1)	(2)	(1)	(2)
1616	0.073	1863/1	0.121
1615/2, 1631/2	0.089	1863/2	0.121
1643/1	0.202	1863/3	0.121
1646/1	0.162	1863/4	0.121
1646/2	0.109	1863/5	0.121
1649/1	0.069	1863/6	0.121
1649/2	0.065	1863/7	0.020
1650	0.300	1864/1	0.069
1653/4	0.223	1864/2	0.194
1686/2	0.040	1864/3	0.227
1706/1	0.101	1867/1	0.130
1729/1 ग	0.121	1867/2	0.040
1729/1 ख	0.040	1867/3	0.308
1729/2 च	0.008	1867/4	0.130
1729/1 ड	0.020	1867/5	0.040
1729/2 ज 1	0.040	1867/6	0.040
1754/21	0.211	1868/1	0.223
1779/3	0.377	1868/2	0.223
1781/3	0.393	1869/1	0.093
1783/2	1.215	1869/2	0.093
1783/4	0.607	1869/3	0.049
1783/5	0.607	1869/4	0.049
1787/2	0.943	1870/1	0.514
1788/2	0.081	1870/2	0.057
1788/5	0.162	1870/3	0.113
1790	0.429	1870/4	0.623
1791	0.421	1870/5	0.105
1792	0.405	1870/6	0.057
1793	0.178	1884	0.065
1794	0.089	1953	0.073
1796	0.466	1954/1	0.130
1797	1.036	1954/2	0.073
1800	0.737	1955/1	0.162
1801	0.389	1955/2	0.457
1810/19	0.081	1955/3	0.445
1810/4	0.162	1955/4	0.202
1810/43	0.081	1955/5	0.040
1811/1	0.324	1956	0.146
1811/2	0.324	1957	0.109
1832/1, 1833/1	0.138	1958/1	0.381
1832/2, 1833/2	0.834	1958/2	0.202
1849/3, 1850/3	0.223	1959	0.389
1849/4, 1850/4	0.162	1974/2, 1971/2, 1972/2, 1973/2	0.040
1851	0.186	1985/1	0.093
1852/1	0.235	1985/2	0.360
1852/2	0.162		

(1)	(2)
1985/3	0.089
1985/4	0.089
1985/5	0.093
1986	0.154
1987/1	0.166
1987/2	0.113
1988	0.202
1989/1	0.113
1989/2	0.073
योग	23.599

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता हैं- औद्योगिक प्रयोजन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 13 अक्टूबर 2010

क्रमांक 14125.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-अकलतरा
- (ग) नगर/ग्राम-पकरिया, प. ह. नं. 06
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-23.549 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
53/2	0.344
54	0.239
57	0.364
67/3, 71/6	0.081
69/1	0.004
74	1.332
75/1	0.040
75/2	0.065
75/8	0.405
75/3	0.040
75/4	0.154
75/5	0.154
75/6	0.263
89, 91/1	0.372
90	0.065
94/1	0.445
94/2	0.251
95/3	0.146
96/1	0.202
96/2	0.227
97/1	0.182
97/2	0.202
98	0.121
99/5	0.121
99/7	0.142
99/4	0.113
758/1, 759/1, 768/1	0.547
758/4, 784	0.146
762/1	0.142
762/5	0.142
762/6	0.142
766	0.526
768/3, 759/2, 758/7	1.012
769	1.113
770	0.008
771/2	0.040
771/3	0.020
773/1, 774/2	0.304
785	0.178
786	0.324
787	0.283
792/3	0.089
792/7	0.093
952/7	0.405
952/16 ख	0.202
952/16 क	0.316
952/15	0.405
952/17	1.012
952/19	0.405
952/20	0.607

(1)	(2)
952/21	0.162
952/22	0.810
952/24	0.134
952/26	0.040
952/33	1.215
952/36	1.417
952/40	0.405
952/41	0.101
952/44	0.405
952/45	0.943
952/46	0.943
952/47	0.405
952/48	0.134
952/49	0.138
952/54	0.506
952/55	0.486
952/57	0.769
योग	23.549

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- औद्योगिक प्रयोजन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 13 अक्टूबर 2010

क्रमांक 14126.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-अकलतरा

(ग) नगर/ग्राम-नरियरा, प. ह. नं. 15

(घ) लगभग क्षेत्रफल-45.182 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
148	0.644
153/1	0.397
153/4	0.121
155/1	0.142
155/2	0.263
158/1	0.138
158/2	0.053
158/3	0.174
159/1	0.024
159/2	0.178
161/2	0.101
161/3	0.138
161/4	0.182
162/1	0.126
162/2	0.126
163/1	0.441
164/4	0.154
164/5	0.036
165/2	0.215
166/7	0.008
167/2	0.437
167/4	0.457
167/5	0.206
168/1	0.069
168/2	0.081
168/3	0.526
169/2	0.101
171/1	0.680
171/2	0.040
171/3	0.757
171/4	0.121
172/1	0.105
172/3	0.105
172/4	0.105
172/5	0.105
173/1	0.223
174/2	0.810
174/3	0.348
174/9	0.008
174/10	0.097
174/12	0.126
174/15	0.243
174/21	0.166
174/22	0.178
174/26	0.085
174/27	0.040
174/28	0.040
174/31	0.057

(1)	(2)	(1)	(2)
174/39	0.154	1235/10	0.101
174/40	0.008	1238/1	0.219
178/2	0.243	1238/2	0.113
180/1	0.081	1238/3	0.121
180/2	0.105	1238/4	0.016
180/5	0.105	1238/5	0.178
182/2	0.271	1239/3	0.251
182/3	0.405	1239/4	0.130
183/4	0.267	1239/6	0.008
184/1	0.081	1239/7	0.024
184/2	0.081	1239/13	0.081
184/3	0.081	1239/15	0.150
184/4	0.081	1239/16	0.239
185/1	0.247	1239/19	0.121
185/2	0.247	1242/3	0.405
186/1	0.194	1242/4	0.206
186/2	0.202	1242/16	0.202
187/2	0.178	1242/20	3.798
187/3	0.441	1242/29	0.101
188/2	0.105	1242/43	0.202
188/8	0.138	1246/19	0.040
189/1	0.385	1246/22	0.081
189/2	0.040	1246/24	0.202
189/3	0.121	1247/8	0.077
189/4	0.202	1247/10	0.089
190	0.413	1247/26	0.121
191/1	0.061	1247/27	0.040
191/2	0.466	1247/36	0.227
192/2	0.098	1247/59	0.121
193	0.688	1247/60	0.247
207/1	0.081	1247/61	0.215
1212/2	0.121	1247/84	0.409
1212/5	0.202	1247/85	0.126
1232	0.032	1257/16	0.591
1233/2	0.081	1257/29	0.202
1233/7	0.202	1264/1	0.105
1233/29	0.182	1268/4	0.024
1233/46	0.526	1277/2	0.263
1233/51	0.121	1277/3	0.130
1233/53	0.202	1291/3	0.028
1233/59	0.283	1291/4	0.008
1233/90	0.065	2191/5	0.008
1234/4	0.202	1291/6	0.008
1235/2	0.215	1297/3	0.024
1235/4	0.101	1297/4	0.024
1235/6	0.142	1304/2	0.085
1235/7	0.162	1308/3	0.073

(1)	(2)
1310/2	0.061
1310/3	0.032
1316/1	0.158
1316/2	0.170
1322/1	0.069
1325	0.101
1326/1	0.198
1326/3	0.101
1334/2	0.098
1344	0.040
1351/3	0.020
1354/5	0.020
1354/4	0.020
1355/4	0.020
1355/3	0.024
1356/1	0.016
1359/4	0.057
1361/1	0.012
1361/2	0.008
1361/4	0.008
1362/1	0.053
1363/1	0.053
1363/3	0.053
1363/7	0.057
1364/2	0.020
1367/2	0.101
1368	0.263
1369/1	0.020
1369/2	0.081
1369/3	0.040
1373/2	0.032
1376/7	0.105
1377/1	0.190
1380/1	0.028
1383/2	0.040
1384/1	0.016
1384/2	0.012
1384/3	0.012
1384/4	0.016
1384/5	0.012
1384/6	0.012
1385/2	0.032
1385/4	0.028
1386	0.251
1387/2	0.085
1387/3	0.032
1388	0.381
1390/1	0.105
1390/2	0.105
1390/3	0.109
1390/4	0.109
1393/2	0.020
1396/1	0.053
1396/2	0.162
1398/2	0.121
1409/2	0.085
1410/1	0.223
1410/2	0.113
1411/1	0.081
1415/2	0.263
1416	0.028
1417/3	0.057
1418/2	0.061
1440/1	0.024
1440/3	0.024
1442/1	0.061
1442/2	0.024
1442/3	0.061
1442/4	0.061
1442/5	0.024
1442/6	0.012
1449	0.239
1450/3	0.008
1450/7	0.008
1452	0.049
1471/3	0.202
1473/1	0.202
1473/2	0.194
1473/3	0.186
1485/2	0.057
1487/5	0.028
1487/8	0.028
1495/2	0.081
1497/3	0.049
1497/4	0.012
1497/5	0.008
1497/6	0.012
1504/1	0.377
1511	0.251
1512/2	0.061
1512/3	0.065
1515/2	0.008
1515/4	0.008
1515/5	0.008

(1)	(2)
1522/1	0.061
1522/3	0.061
1522/5	0.016
1523/1	0.065
1523/2	0.065
1523/4	0.040
1523/5	0.012
1523/6	0.040
1523/7	0.040
1523/9	0.024
1524/3	0.040
1525/1	0.045
1525/4	0.045
1525/6	0.049
1525/7	0.028
1525/8	0.028
1525/9	0.032
1526	0.101
1527/1	0.036
1527/2	0.032
1527/4	0.036
1528	0.105
1529/1	0.098
1529/2	0.098
1530/1	0.182
1530/2	0.178
1532/2	0.069
1532/3	0.065
1604/1	1.316
1604/2	0.437
1608/15	0.324
1608/16	0.429
1608/34	0.259
1608/37	0.142
1608/38	0.142
1608/42	0.308
1609	0.660
1610/1	0.202
1610/2	0.049
1610/3	0.008
1676/1	0.117
1676/2	0.117
1678/1	0.154
1678/2	0.158
1678/3	0.158
1679/1	0.040
1679/2	0.036
1679/3	0.036
1679/4	0.117
1680	0.680
1681/1	0.105
1681/2	0.320
1682/5	0.243
1691	0.202
योग	45.182

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- औद्योगिक प्रयोजन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 13 अक्टूबर 2010

क्रमांक 14127.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-अकलतरा
- (ग) नगर/ग्राम-रोगदा, प. ह. नं. 14
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-52.917 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
13	0.020
199/1	0.202
201/2	0.093
201/4	0.002
208/1	0.130
209/1	0.121

(1)	(2)	(1)	(2)
214/1	0.312	284/10	0.089
217/5	0.036	284/11	0.142
218/1	0.032	284/19	0.190
219/2	0.036	284/16	0.020
221/3	0.024	286/1	0.130
222/1	0.040	286/2	0.324
222/2	0.032	286/3	0.121
222/5	0.036	286/4	0.300
223/3	0.049	286/6	0.223
223/4	0.053	286/7	1.012
223/2	0.012	286/8	0.607
224/3	0.045	286/9	0.142
225/1	0.097	286/10	0.121
227/1	0.069	286/11	0.356
229/1	0.429	286/12	0.453
235/1	0.158	286/13	0.182
237/1	0.166	286/14	0.130
239/1	0.016	288	0.020
239/2	0.020	290/1	0.538
239/3	0.012	290/2	0.538
239/4	0.012	290/3	0.065
239/5	0.012	290/4	0.538
239/6	0.036	290/5	0.538
239/7	0.036	291/1	1.287
251	0.405	291/2	0.405
252/1	0.061	292	0.134
253	1.579	293/1	0.085
256	1.445	293/4	0.085
258/1	0.020	293/5	0.040
258/2	0.202	293/6	0.045
258/3	0.202	293/7	0.085
259	0.283	294/1	0.162
261	0.045	294/2	0.405
262/1	0.186	294/12	0.429
265	0.081	294/14	0.324
266	0.020	294/15	0.202
272/9	0.263	294/19	0.251
272/30	0.336	294/30	1.619
276/1	2.429	295	0.162
276/3	2.024	296/2	0.486
277/2	0.109	296/3	0.154
278/1	0.219	296/4	0.437
278/2	0.040	296/5	0.267
284/5	0.243	296/6	0.372
284/8	0.227	296/8	0.142
284/9	0.174	296/9	0.142

(1)	(2)
297/1	0.166
297/3	0.166
298	1.478
300	0.239
303/1	0.470
303/2	0.186
304/1	0.235
304/3	0.101
304/4	0.202
304/5	0.202
304/6	0.202
304/7	0.101
306/1	0.057
306/5	0.045
306/6	0.016
309	0.053
311	0.190
313/2	0.045
316/1	0.466
316/4	0.154
317/4	0.130
318/3	0.150
318/1	0.146
323	1.211
327	0.356
328	0.737
329	0.243
330/1	0.061
330/2	0.061
330/4	0.032
331/1	0.324
331/4	0.040
331/5	0.040
333/1	0.478
333/3	0.162
333/4	0.162
333/5	0.162
334/2	0.368
339/8	0.247
339/11	0.158
339/14	0.036
339/16	0.251
339/18	0.146
339/20	0.474
339/25	0.425
339/27	0.227
340/2	0.304
340/4	0.304
341/2	0.328
341/3	0.190
341/5	0.081
341/6	0.154
341/17	0.202
341/18	0.202
341/19	0.016
341/20	0.405
341/21	0.348
341/22	0.405
342/1	0.182
342/2	0.182
343/1	0.069
343/2	0.069
344/1	0.543
344/2	0.405
345/4	0.672
345	2.348
347	0.081
350/1	0.093
350/2	0.089
350/3	0.089
350/4	0.267
353	1.328
358	0.328
360/1	0.291
361/1	2.024
361/2	1.381
364/1	0.498
योग	52.917

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- औद्योगिक प्रयोजन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ब्रजेश चन्द्र मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा), कबीरधाम

कबीरधाम, दिनांक 23 सितम्बर 2010

क्रमांक 797/अ.भू.अ./2010.—छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, सन् 1959 की धारा 108 के अधीन निर्मित नियम 13 के अधीन यह घोषणा की जाती है कि ग्राम बिरहुलडीह, प. ह. नं. 01, तहसील-पंडरिया, जिला कबीरधाम का अधिकार अभिलेख तैयार हो गया है. अत: एतद्द्वारा उन समस्त व्यक्तियों को जिनका अधिकार अभिलेख की प्रविष्टि में हित है आमंत्रित किया जाता है कि वे इसका निरीक्षण कार्यालय में शासकीय कार्य के दिन कार्यालय के समय में कर सकते हैं और यदि चाहें तो उसमें की गई किसी भी प्रविष्टि के संबंध में कलेक्टर को अपील कर सकते हैं.

दिनांक - 21-09-2010
स्थान-कवर्धा

पटेल और पटवारी अथवा अन्य किसी स्थानीय अभिकरण की आपको इसके द्वारा यह सूचना चौपाल गुड़ी पर सार्वजनिक आवागमन के अन्य स्थल पर लगाने की तथा गांव में डौंडी पिटवारकर इसकी अन्तर्वस्तु घोषित करने की आज्ञा दी जाती है.

कबीरधाम, दिनांक 23 सितम्बर 2010

क्रमांक 797/अ.भू.अ./2010.—छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, सन् 1959 की धारा 108 के अधीन निर्मित नियम 13 के अधीन यह घोषणा की जाती है कि ग्राम कांदावानी, प. ह. नं. 02, तहसील-पंडरिया, जिला कबीरधाम का अधिकार अभिलेख तैयार हो गया है. अत: एतद्द्वारा उन समस्त व्यक्तियों को जिनका अधिकार अभिलेख की प्रविष्टि में हित है आमंत्रित किया जाता है कि वे इसका निरीक्षण कार्यालय में शासकीय कार्य के दिन कार्यालय के समय में कर सकते हैं और यदि चाहें तो उसमें की गई किसी भी प्रविष्टि के संबंध में कलेक्टर को अपील कर सकते हैं.

दिनांक - 21-09-2010
स्थान-कवर्धा

पटेल और पटवारी अथवा अन्य किसी स्थानीय अभिकरण की आपको इसके द्वारा यह सूचना चौपाल गुड़ी पर सार्वजनिक आवागमन के अन्य स्थल पर लगाने की तथा गांव में डौंडी पिटवारकर इसकी अन्तर्वस्तु घोषित करने की आज्ञा दी जाती है.

कबीरधाम, दिनांक 23 सितम्बर 2010

क्रमांक 797/अ.भू.अ./2010.—छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, सन् 1959 की धारा 108 के अधीन निर्मित नियम 13 के अधीन यह घोषणा की जाती है कि ग्राम चियांडांड, प. ह. नं. 06, तहसील-पंडरिया, जिला कबीरधाम का अधिकार अभिलेख तैयार हो गया है. अत: एतद्द्वारा उन समस्त व्यक्तियों को जिनका अधिकार अभिलेख की प्रविष्टि में हित है आमंत्रित किया जाता है कि वे इसका निरीक्षण कार्यालय में शासकीय कार्य के दिन कार्यालय के समय में कर सकते हैं और यदि चाहें तो उसमें की गई किसी भी प्रविष्टि के संबंध में कलेक्टर को अपील कर सकते हैं.

दिनांक - 21-09-2010
स्थान-कवर्धा

पटेल और पटवारी अथवा अन्य किसी स्थानीय अभिकरण की आपको इसके द्वारा यह सूचना चौपाल गुड़ी पर सार्वजनिक आवागमन के अन्य स्थल पर लगाने की तथा गांव में डौंडी पिटवारकर इसकी अन्तर्वस्तु घोषित करने की आज्ञा दी जाती है.

कबीरधाम, दिनांक 23 सितम्बर 2010

क्रमांक 797/अ.भू.अ./2010.—छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, सन् 1959 की धारा 108 के अधीन निर्मित नियम 13 के अधीन यह घोषणा की जाती है कि ग्राम तेलियापानी लेदरा, प. ह. नं. 06, तहसील-पंडरिया, जिला कबीरधाम का अधिकार अभिलेख तैयार हो गया है. अंत: एतद्द्वारा उन समस्त व्यक्तियों को जिनका अधिकार अभिलेख की प्रविष्टि में हित है आमंत्रित किया जाता है कि वे इसका निरीक्षण कार्यालय में शासकीय कार्य के दिन कार्यालय के समय में कर सकते हैं और यदि चाहें तो उसमें की गई किसी भी प्रविष्टि के संबंध में कलेक्टर को अपील कर सकते हैं.

दिनांक - 21-09-2010
स्थान-कवर्धा

पटेल और पटवारी अथवा अन्य किसी स्थानीय अभिकरण की आपको इसके द्वारा यह सूचना चौपाल गुड़ी पर सार्वजनिक आवागमन के अन्य स्थल पर लगाने की तथा गांव में डौंडी पिटवारकर इसकी अन्तर्वस्तु घोषित करने की आज्ञा दी जाती है.

आर. संगीता,
कलेक्टर.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 1st October 2010

No. 305/L. G./2010/II-2-2/2009.—Shri P. K. Dave, District & Sessions Judge, Korba is hereby, granted earned leave for 04 days from 18-10-2010 to 21-10-2010 and permission to prefix holidays of 16th & 17th October, 2010 (3rd Saturday & Sunday) along with permission to remain out of headquarters from 16-10-2010 to 21-10-2010.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Dave, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leaves, 240+11 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 1st October 2010

No. 306/L. G./2010/II-2-3/2000.—Smt. Anuradha Khare, Judge, Family Court, Bilaspur is hereby, granted earned leave for 04 days from 11-10-2010 to 14-10-2010 and permission to prefix holidays of 09th & 10th October, 2010 (2nd Saturday & Sunday) and suffix holidays from 15th to 17th October, 2010 (Dushera holiday, 3rd Saturday & Sunday) along with permission to remain out of headquarters during the said period.

During the period of earned leave, she shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Smt. Khare, had not proceeded on leave as aforementioned then she would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leaves, 240+11 days of earned leave are remaining in her leave account as on date.

By order of the High Court,
BALINDAR SINGH SALUJA, Additional Registrar.